



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)
HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR,
GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/01

दिनांक: 20.02.2025

प्रति,
सर्व संबंधित,

स्थापना नियम सं. - 24/2025

विषय: - Amendments in the minimum qualification for the post of Primary Teachers in Railway Schools.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt) दिनांक 04.02.2025, RBE No. 11/2025 की प्रति, सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। इस विषय से संबंधित रेलवे बोर्ड के पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था: -

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt), Dt. 12.04.2022, RBE No. 50/2022	127/2022

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site- Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder- Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

20-02-25
(रंजन कुमार रुखैयार)

सहायक कार्मिक अधिकारी (मुख्य. एवं बिल)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(पीएंडए)I-2012/पीएस-5/पीई-3(पार्ट)

आरबीई सं. 11/2025
नई दिल्ली, दिनांक : 04.02.2025

महाप्रबंधक एवं वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: रेलवे विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए न्यूनतम योग्यताओं में संशोधन।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.04.2022 का पत्र सं. ई(पीएंडए)I-2012/पीएस-5/पीई-3(पार्ट)
(आरबीई सं. 50/2022)

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के उक्त संदर्भाधीन पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत कक्षा I से VIII के लिए शिक्षकों की भर्ती/पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यताओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) के दिनांक 28.06.2018, 13.11.2019 तथा 13.10.2021 की राजपत्रित अधिसूचनाओं के अनुसार संशोधित किया गया था।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में अपने दिनांक 11.08.2023 के निर्णय के तहत राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद की दिनांक 28.06.2018 की अधिसूचना जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की योग्यताओं में से एक के रूप में बी.एड योग्यता निर्धारित की गई थी, को रद्द कर दिया है। तदनुसार, बी.एड योग्यता वाले अभ्यर्थी कक्षा I से V के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवीन कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 28.08.2024 के अपने उत्तरवर्ती निर्णय के तहत दिनांक 11.08.2023 के निर्णय के बाद बी.एड अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति को रद्द करने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है।

3. बोर्ड कार्यालय में मामले की जांच की गई है तथा बोर्ड के दिनांक 12.04.2022 के पत्र के अनुलग्नक के पैरा (I) (1)(ए) (I) के अनुसार रेलवे विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यताओं में से निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताओं को हटाने का विनिश्चय किया गया है:

"कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक (बी.एड.)

अथवा

कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष ग्रेड और तीन वर्ष का एकीकृत बी.एड. - एम.एड."

3.1 इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षकों के पद के लिए योग्यताओं में से बी.एड योग्यता को हटाने के परिणामस्वरूप बोर्ड के दिनांक 12.04.2022 के पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक के पैरा (II) (3)(क) एवं (ग) में निहित उपबंधों को भी हटा दिया गया है:

3. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण: वह व्यक्ति जिसने -

(क) एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शिक्षा स्नातक की अर्हता प्राप्त की हो की कक्षा I से V में शिक्षक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह माह के ब्रिज कोर्स में भाग लेना अनिवार्य होगा।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन-वर्ष की एकीकृत बी.एड. - एम.एड. की अर्हता प्राप्त की हो, की कक्षा। से V में शिक्षक के रूप नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

बशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्षों के भीतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में छह-माह के ब्रिज कोर्स में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा।

3.2 अतः, प्राथमिक शिक्षकों के चयन के लिए योग्यताओं में से एक के रूप में बी.एड योग्यता को हटाने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिनांक 23.08.2010 और 29.07.2011 की अधिसूचना (बोर्ड के दिनांक 09.12.2013 के पत्र सं. ई(पीएंडए)-2012/पीएस-5/पीई-3 तथा दिनांक 12.04.2022 के पत्र सं. ई(पीएंडए)-2012/पीएस-5/पीई-3(पार्ट) के तहत परिपत्रित) के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी:-

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से हो)

अथवा

कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से हो)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री (बी.ईएल.एड.)।

अथवा

कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेण्डरी (अथवा इसके समकक्ष) और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्ष का डिप्लोमा।

अथवा

स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

और

एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टीईटी) में पास।

4. उपरोक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि अर्थात् 11.08.2023 से लागू होंगे।



(गौरव पुरी)

संयुक्त निदेशक/स्थापना(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 011-47845119

ईमेल आईडी: gaurav.rb1@gov.in

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड श्रेणी II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल श्रेणी II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीओएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001।
13. ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन।
14. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

साधु
4.2.25

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध), रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD / रेलवे बोर्ड)

RBE No. 11 /2025

No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt)

New Delhi, Dated: 04.02.2025

**The General Managers and FA & CAOs,
All Indian Railways and Production Units etc.**

**Sub: Amendments in the minimum qualifications for the post of
Primary Teachers in Railway schools.**

**Ref: Railway Board's letter No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt) dated
12.04.2022 (RBE No. 50/2022).**

Attention is invited to Railway Board's letter under reference vide which the minimum qualifications for recruitment/promotion of teachers for classes I to VIII were modified in line with National Council for Teachers Education's (NCTE's) Gazette Notifications dated 28.06.2018, 13.11.2019 & 13.10.2021.

2. The Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 11.08.2023 in Devesh Sharma Vs UOI and Ors. has quashed and set aside the NCTE's notification dated 28.06.2018 prescribing the B.Ed. qualification as one of the qualifications for the post of primary teachers. Accordingly, the candidates with B.Ed. qualifications are not eligible for appointment as a teacher for classes I to V. Further, the Hon'ble Supreme Court vide its subsequent judgment dated 28.08.2024 in Navin Kumar & Ors. Vs UOI & Ors. has upheld the decision of Chhattisgarh High Court quashing the appointments given to the B.Ed. candidates after the judgment dated 11.08.2023.

3. The matter has been examined in Board's Office and it has been decided to delete the following educational qualifications from the qualifications prescribed for primary teachers of railway schools as per para (I) (1)(A) (i) of the annexure to Board's letter dated 12.04.2022:

"Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B. Ed.)

OR

Post-Graduation with minimum 55% marks or equivalent grade and three-year integrated B.Ed.-M.Ed."

3.1. Further, consequent to deletion of the B.Ed. qualification as one of the qualifications for the post of primary teachers, the following provisions contained in para (II) (3) (a) & (c) of the annexure annexed with Board's letter dated 12.04.2022 are also deleted:

3. Training to be undergone:- "A person –

(a) *who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall*

mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher.

(c) who has acquired the qualification of three-year integrated B.Ed.-M.Ed. from any National Council for Teacher Education recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V:

Provided that the person so appointed as a teachers shall mandatorily undergo a six-month Bridge Course in Elementary Education recognized by the National Council for Teacher Education, which two years of such appointment as primary teacher."

3.2. Therefore, post-deletion of the B.Ed. qualification as one of the qualifications for selection of primary teachers, the minimum educational qualifications of primary teachers as prescribed in NCTE's notifications dated 23.08.2010 and 29.07.2011 (circulated vide Board's letters No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3 dt. 09.12.2013 and No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt) dt. 12.04.2022) would be as follows:-

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002.

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Education (Special Education)

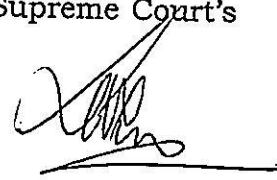
OR

Gradation and two year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

AND

Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.

4. The above orders will take effect from the date of Hon'ble Supreme Court's judgment i.e. from 11.08.2023.



(Gaurav Puri)

Joint Director/ Estt.(P&A),

Railway Board

Tele No.011-47845119

Email ID: gaurav.rb1@gov.in

No. E(P&A)I-2012/PS-5/PE-3(pt)

New Delhi, Dated: 04.02.2025

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan.
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. All India O.B.C. Railway Employee's Association.
14. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
15. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

Ask. 2.25

for PED(IR), Railway Board

Copy to : PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MoSR(S), MoSR(R), CRB & CEO, Member Finance, Member Infra., Member (T&RS), Member (O&BD), DG(HR), DG(RHS), DG(RPF), DG(Safety), OSD/MR OSD/Co-ord/MR, Advisor/MR, EDPG/MR, Addl. PS/MR, Addl. PS/MoSR(S), Addl. PS/MoSR(R), Secretary, All Additional Members/ Advisors/ Executive Directors/ Joint Secretaries/ Directors/ Joint Directors/ Deputy Secretaries/ Deputy Directors/ Under Secretaries.

All Branches and Officials of Railway Board.

(Authority: NCTE's letter No. NCTE-Regl011/974/2021-Reg.Sec-HQ/122511 dated 03.11.2023)
